भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0-टी0 ए0 मिस वाद सं0- 180A/2018-19

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

सोमनाथ मुण्डा ....आवेदक/विक्रेता

बनाम

सोनामनी सरदार...................................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

06-02-2020

विक्रेता :- सोमनाथ मुण्डा पिता स्व0 बुल मुण्डा, ग्राम–अरुवाँ, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड),जाति–भूमिज।

क्रेता :- सोनामनी सरदार पति श्री हीरालाल सरदार, ग्राम–अरुवाँ, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड), जाति–भूमिज।

विक्रेता द्वारा दिनांक 20.10.2018 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता सोनामनी सरदार पति श्री हीरालाल सरदार, ग्राम–अरुवाँ, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
अरुवाँ	कुचाई / 129	374	739	42½डी0

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, कुचाई से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, कुचाई का पत्रांक 833 दिनांक 03.11.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के स्वयं एवं अन्य के नाम से जमाबंदी दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा–2.15½ एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक थाना एवं जाति–'भूमिज' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है।

लगातार..............2

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, कुचाई ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, कुचाई के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता सोमनाथ मुण्डा पिता स्व0 बुल मुण्डा, ग्राम–अरुवाँ, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता सोनामनी सरदार पति श्री हीरालाल सरदार, ग्राम–अरुवाँ, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला– खरसावाँ(झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर रकवा–42½डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

06/02/2020
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।